

PONDICHERRY APPROPRIATION
 BILL*, 1976

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): With your permission, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Pondicherry for the services of the financial year, 1975-76.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Pondicherry for the services of the financial year, 1975-76."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I introduce† the Bill.

I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Pondicherry for the services of the financial year 1975-76 be taken into consideration".

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Pondicherry for the services of the financial year 1975-76 be taken into consideration."

The motion was adopted.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 27-1-76.

Moved with the recommendation of the President.

‡Moved with the recommendation of the President.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up clause by clause consideration. The question is:

"That Clause 2 and 3, the Schedule, Clause I, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 and 3, the Schedule, Clause I, the Enacting Formula and the Title, were added to the Bill

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14 48 hrs.

ASSAM SILLIMANITE LIMITED
 (ACQUISITION) AND TRANSFER
 OF REFRACTORY PLANT, BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up the Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the Assam Sillimanite Limited in respect of its Refractory Plant and for matters connected therewith or incidental thereto.

THE MINISTER OF STEEL, AND MINES (SHRI CHANDRAJIT YADAV): I beg to move†.

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the Assam Sillimanite Limited in respect of its Refractory Plant and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The Assam Sillimanite Company registered under the Companies Act, was granted a licence in January, 1960 under the Industries Act for the setting up of the refractory plant with a total production capacity of 46,000 tonnes per annum. The factory was to produce this in two stages—in the first stage, it was supposed to produce 29,000 tonnes and in the next stage 17,000 tonnes.

The company entered into a technical collaboration agreement with the West German firm providing for designing and commissioning of the refractory plant, provision of know-how, effective specialist training to the Indian personnel etc. The plant and machinery were also imported from West Germany and the payment thereof was made out of the loan advanced by the International Finance Corporation. But, unfortunately, even the first stage in which the company took certain steps was not fully completed and the work was stopped because of financial difficulties. The company was in a very bad situation financially. It has practically done nothing during the last fifteen years since the licence was granted in January, 1960. Moreover, the demand for the production of steel will further go up. This factory was supposed to produce a special type of refractory which this plant could produce was in short supply presently and we are still importing some refractories belonging to this category. When this plant did not work properly then it was closed down on 28th June, 1972 throwing more than 200 workers out of employment. The closure of the plant not only affected the workers concerned but was singularly unfortunate in the sense that at that time there was a general shortage of refractories in the country and we were importing a considerable quantity of refractories for steel and other industries. The workers of the plant repeatedly wrote to the then Minister and some of our hon. Members of this House also approached

the Minister that because the factory is closed the workers are out of employment and, as such, the Government should take over this factory.

The company even did not publish any balance sheet and profit and loss account after 31st March, 1968. Its liabilities were very heavy and the management did not possess the required financial and other resources to resume production. Also, Sir, the factory had foreign equipment which will make it contribute to the production of refractories urgently needed by the steel plant. Now, in this situation the Government decided to take over the management of the plant under Section 18(A) (a) of the Industries Act for a period of three years and later on this period was extended. Now, the period is upto 2nd November, 1976.

After the Government took over the management of the factory the HSL has succeeded in bringing the pilot refractory plant into working order and it is a matter of satisfaction that today the pilot plant is producing upto 94 per cent of its capacity.

This has not only served to augment the supplies of refractories needed by the steel industry but has also helped in obviating the need for some of the imports and certain steps are being taken to reach the first stage of this factory. When the factory was under the private ownership, the condition of the workers was very bad. The lowest grade for unskilled workers was Rs. 20—30 and the minimum wage was Rs. 78.00 per month only. Some interim relief was given and the scales of pay suitably upgraded and the minimum wage was raised to Rs. 294.00 per month as on 1st April, 1975.

Sir, on the date of take-over of the factory the number of workers was 250 and at present there are 280 workers working in this factory. This fac-

[Shri Chandrajit Yadav]

tory had also some of the very good mines in Meghalaya but the Government of Meghalaya were not satisfied with the use of sillimanite deposits and investigation was made in 1972 which showed that the production from these mines had gradually come down and mining was being done in an unscientific manner and that proper attention had not been paid to the maintenance and repair and replacement of mining equipment. Sir, sillimanite from these mines is not only required as raw material for the manufacture of certain types of refractories but is also in demand in the international market. Government of Meghalaya, therefore, in consultation with the Central Government terminated prematurely these mining leases under the Mines and Minerals Act and accordingly fresh mining leases over the same areas in favour of HSL were given. Therefore, these mines now belong to HSL.

This company went in a writ petition to the Delhi High Court. Even today the case is pending. But seeing the overall interest of the country and the steel industry and also looking at the financial position of this Company which is not in a position to run this plant at all

SHRI DINEN BHATTACHARYYA
Who are the management in this company?

SHRI CHANDRAJIT YADAV · I said it was a private company. One Mr. Wahi was the proprietor of this Company. The licence was issued in the name of that private company

The liabilities of the Assam Sillimanite Ltd. are very heavy. Presently, the entire assets of the plant are mortgaged. There is a large number of creditors some of whom have obtained court decrees and orders of attachment. In fact, at one time, the

refractory plant was to be sold in auction at the instance of one of the creditors. It is therefore, obvious that the previous management would not be in a position to mobilise the additional substantial investment required for the completion of the plant, nor can it be trusted to run it efficiently and economically. It has practically done nothing, as I said, during the last 15 years. In this situation, the Government has decided to acquire the right, title and interest of the Assam Sillimanite Ltd in respect of its refractory plant with the following objectives (1) to complete the full erection of the plant utilising all available equipments at the earliest to augment the production of refractories so that we may complete both these stages, thus helping us to stand on our own legs so far as the demand of the refractories by the steel plants is concerned; (2) to modify it suitably so as to ensure the production of about 30 000 tonnes of high alumina and other specialised refractories, some of which are being imported, by investing more funds This would also lead to much larger employment It is going to substantially reduce our imports so far as this kind of refractories is concerned Thirdly, we have to run the plant efficiently and economically in the public interest providing to the workers suitable wages, amenities and facilities as in other public sector undertakings

Therefore, it is proposed to pay to the Company an amount of Rs. 107.17 lakhs. In addition, the Company will be also paid management compensation at the rate of Rs. 2,500 per month with effect from 2 November, 1972. This amount will be disbursed through a Commissioner of Payments to be appointed by the Government who will also decide on the claims of the various creditors

To safeguard the interest of workers, the Bill provides for overriding

priority in respect of arrears due to the employees in relation to provident fund, pension fund or any other fund established for the welfare of the employees and arrears of wages. Very often it is said in this House when a company is taken over, that in regard to those companies which were defaulters in depositing in the provident fund and also in paying wages, the workers' claims are not given priority and are neglected. Therefore, we are making a specific provision in this Bill itself that the workers' claims will be given overriding preference and would be the first charge on the assets of the company which the Commissioner would have to discharge

The second priority has been accorded to claims of secured creditors against the different assets. Most of the creditors are either the nationalised banks or the Government of Bihar.

Therefore, we are giving second priority to them. Hindustan Steel Ltd had, during the period the plant had been under the management of Government, provided funds mostly as working capital which are estimated to be of the order of Rs. 45 lakhs. This liability has been assumed by Government. The Government has also assumed liability in respect of wages, salaries and other dues of employees in respect of any period after the management of the plant had been taken over by the Government.

I move.

15 hrs

MR. DEPUTY-SPEAKER: The payment to the workers is only in respect of the refractory plant? Or it also covers the workers in the mine?

SHRI CHANDRAJIT YADAV: As I mentioned, the lease was cancelled; it was given to this company. Now the least has been granted to Hindustan Steel.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The company had many men there, who were working for the company.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: I shall give that information; I hope that all the men who were working there in the mine, continue to work in the mines but I shall clarify your point after sometime.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the Assam Sillimanite Limited in respect of its Refractory Plant and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Shri Dinan Bhattacharyya. Even the name of the management, you say you do not know; what are you going to say on that?

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Suppose I know it. I have taken up the matter with the Ministry a long time back.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Have you anything to say when you do not know the management?

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Mr. Deputy-Speaker, you have rightly asked whether there will be one company comprising this plant as well as the mine or the mines will constitute a separate subsidiary of the HSL. That point should be clarified. My apprehension is that the mine will be managed separately. The question I want to pose is: why was this company, which was given a licence 15 years back, which had the technical know-how as well as agreement for the supply of implement, machinery, etc. from West Germany, which had thus all the scope, tolerated by the government and allowed to continue when

[Shri Dinan Bhattacharyya]

the minimum wage was only Rs. 20, as per the hon. Minister's statement.

After all you are now coming for sanction to take it over only and you will pay them compensation at the rate prescribed. You have made a long statement on that matter. It would have been better if a copy of that policy statement had been put in the statement of objects and reasons of this Bill so that we could cover all those points. Now you are coming out with a sum of 2000 per month to this company. My apprehension is that this company has misappropriated not only the money of the Government but also the money of the share holders. That is why I put the question: what is the name of the management of this company? It is a proprietor. I forgot the name you had just now mentioned.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Wahi.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Is it a proprietary concern or a company which has floated shares in the share market and got some money. What will happen to the shareholders if it is not a proprietary concern? Your Government has already announced that there will be no nationalisation henceforth; that is why you are not nationalising a company which has *prime facie* misappropriated moneys and also betrayed the trust reposed in that company by the government, by giving them permission to import machinery, technical know-how, etc from West Germany into this country. Why are you afraid of talking of bringing a Bill to fully nationalise the company? I know you are now taking care to protect the workers' rights and the views of the workers will be given priority. No doubt, it is a good step. But why are you not talking against this particular company which has committed a crime? If an ordinary person has

pick-pocketed a sum of Rs. 5.0, he would have been sent to Tihar jail. But what have you done to this company which misappropriated the public money? Instead of taking action against this company, you are going to give them compensation at the rate of Rs. 2,000 per month. Is it a child's play? Will you come forward and say that under 20-point programme taking over of this company will be covered? How will you explain it? But I feel that this is not at all severe. I expect that you should at least...

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is getting some information.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: From whom? He can get the information from me so that he can answer my points. I have no quarrel with Shri Chandrajit Yadav. At least you have understood that we require these refractory plants, the special type of refractory plants. Mr. Pai is sitting here and he knows about this. Otherwise he would have, by this time, contradicted my statement. Now, why don't you nationalise the refractory plants of Burn & Company? They did also so many mischiefs. But they have been left scot free. Now, the same thing is happening in the case of a refractory plant in Madhya Pradesh, of the Burn & Company, which is not being taken over and nationalised. This is the position as far as my knowledge goes, otherwise kindly correct me. This is a very vital plant which is necessary for the steel industry. We are very much in shortage of this vital plant and that is why we have to import it.

So, my first point is that it should be nationalised. My second point is: don't allow this management to go merrily after defrauding the people, the workers and also the share-holders. There was a great expectation that we would be self-sufficient, at least to some extent, in the manufacture of this special type of refractory plants. Sir, it

is good that 94 per cent of this refractory plant has now been utilised, that is the pilot plant by the Government and it is the first step. When will you reach the second stage? For the last two or three years you are running it. You have already got one year's extension and again you have come with a Bill for extension. We have no grouse, but how long will you take to fully implement the plan for which it was originally meant? Don't hoodwink the people that by taking this over you are doing a service to the country and you pose that you have almost nationalised it. Let a spade be called a spade. You have no courage and your policy does not say so. You have abandoned the policy of nationalisation. That is why the textile and jute magnates are merrily looting the people.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Have I exhausted my time?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: You come from Assam and you should be more interested in this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: At the moment my concern is with the disposal of the Bill and not with my State.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: I request the Minister to be outspoken and truthful and say why he has not taken any punitive action against the company which committed such a crime. The government has adopted a phased programme, but the minister must give us a time-bound programme for completing it.

He has said that Rs. 294 is the existing minimum total including DA (after take over). But the steel work-

ers in the public sector are getting more. Why not give the same benefit to these employees also?

There are so many refractories in the country. I want to know how many are being taken over by the government and how many are still in the private sector. Please take some steps in the matter of refractories run by private sector including nationalisation of the Burn & Co. refractory in Raniganj, for which we have made so many representations. Kindly look into the wages and other service conditions of the employees in the refractories all over the country.

श्री रामनारायण शर्मा (घनबाद) : यह जो असम सिलिमेनाइट (एक्विजिशन एंड ट्रांसफर आफ रिफ्रेक्ट्री प्लांट) बिल है इसका मैं हृदय से समर्थन और स्वागत करता हूँ उपाध्यक्ष महोदय यह कारखाना इंडिस्ट्रियल डिवैपमेंट एंड रेग्यूलेशन एक्ट के अन्तर्गत दो नवम्बर 1972 को सरकार के प्रबन्ध में आ गया था और सरकार की तरफ से इसकी व्यवस्था हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड करता है। इस को सरकार ने ले कर इस कारखाने को बनाने वाले का जो मसूदा था उसकी पहली स्टेज को पूरा किया है। वह परा नहीं कर सका लेकिन सरकार ने उसको पूरा किया है। आज हजार टन केपेसिटी के अनुसार वह इस काम को चला रही है। सरकार ने मजदूरों के हक को, जो उनकी मजदूरी महगाई भत्ते बोनस प्राविडेड फंड ग्रेजुइटी, पेंशन आदि सभी सुविधाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर एक आदर्श उदाहरण किया है कम्पेंसेशन की रकम जो है उसकी डिस्पोजल में इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे कर सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है।

[श्री राजनारायण शर्मा]

सरकार ने ट्रान्स्फर और एक्विजिशन करके मैं कहूँगा कि नेशनलाइजेशन की पहले ही व्यवस्था कर ली है। बिना नेशनलाइजेशन के कम्पेंशन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह भी दिनेन भट्टाचार्य को मालूम होना चाहिये। उन्होंने शायद बिल को पढ़ा नहीं है और नहीं मंत्री जी के भाषण को सुना है। किताब उनके हाथ में जरूर है। लेकिन उसकी अगर इन्होंने पढ़ा होता था कम से कम उसके जो प्रावजेक्ट्स एंड रीजज हैं उनको पढ़ा होता तो उनको काफी मसाला इस विषय में मिला जाता। यद्यपि यह लिमिटेड कम्पनी है लेकिन यह प्राइवेट कम्पनी है, प्रोप्रिटरशिप वाली कम्पनी है और एक ही व्यक्ति की कम्पनी है, वह चाहे जिस को डायरेक्टर बना दे और जिस को उससे बाहर कर दे। लेकिन यह कम्पनी इस प्रोप्राइटर के लिए सोने का झंडा दिया करती थी। आज सरकार ने उसको इस झंडे में महकम कर दिया है इस कम्पनी के मालिक सरकारी खजाने से चाहे वह बिहार राज्य सरकार का हो या हिन्दुस्तान स्टील का हो या बैंक का हो करोड़ों रूपया निकाल चुके हैं। मेरी नजर में जो मुद्रावज की रकम है वह बहुत अधिक है। मंत्री महोदय ने बताया है कि कौन कौन क्रेडिटर हैं और वे चाहे बैंक हो या सरकार हो, एक तरह से वह सर्वसाधारण की ही प्रती है और उन क्रेडिटर्स को सरकार ने सर्विकड प्रायोरिटी दी है। अर्थात् इजर के हिसाब से हर महीने चालीस महीने तक एक लाख रूपया भी प्राप्य देगे। इस तरह से एक करोड़ अर्ध लाख रूपया मुद्रावज का होता है। मैं समझता हूँ कि इस में से जो क्रेडिटर हैं उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा सुझाव है कि रिफ्रेक्ट्री को ट्रांसफर और एक्विजिशन न करके

समूचे फलन सिलिमेनाइट को ही टेक और सरकार कर लेती तो भ्रति उद्यम होता। जैसा आपने एक प्रश्न मंत्री महोदय से किया था माइज का क्या होगा? खासी वहाँ लैबर का ही मामला नहीं है। वहाँ पर कुछ तो मशीनरी होगी, माइज को चलाने के लिए कुछ तो मशीनरी बहा होगी। लीज बँसल कर देने से और हिन्दुस्तान स्टील के नाम से लीज से लेने से उस मशीनरी का क्या होगा? जब इस कम्पनी ने सारे बैंको और राज्य के खजाने से इतना रुपया वसूल किया है तब इसके जिम्मे वह भी छोड़ने की क्या जरूरत है। बिहार में इनकी छोटी-छोटी दो क्ले माइन्स हैं, उनको भी कम-से-कम लेने की बात होनी चाहिये थी।

असम, मेघालय में सिलिमेनाइट प्रति-टन 30 रूपये के हिसाब से निकाला जाता है और उसको विदेशों में 300 रूपये प्रति टन बेचते हैं। इसलिए इनका सारा ध्यान तो विदेशों में बेचने की तरफ जाता है। वे विदेशी मुद्रा का भी बहुत मन्पुलेशन करते थे। इनका स्विटजरलैंड में एकाउन्ट भी होगा। यह सारा रूपया यहाँ खर्च भी नहीं हुआ है। जो रूपया निकला है वह खदान या कारखाने में लगा होता तो भी सतोष की बात होती। लेकिन जितना मन्पुलेशन किया है और फारेन एक्सचेंज घर्न किया है, मेरा अनुमान है कि स्विटजरलैंड में एकाउन्ट खोल रखा है। इनकी विदेशी पत्नी भी है। वे विटर में यहाँ रहते हैं और सगर में स्विटजरलैंड चले जाते हैं, कहा जास करते हैं। इस तरह से इन्हें ऐश करने की छूट दे दी गई है। इन्होंने जो घब तक कमाया है, अगर उसकी ही छूट देते तो भी हथ सभस सकते थे। सिलिमेनाइट की जो गारन्स असम और बिहार में है, उनको भी सरकार को लेना चाहिये था। बहुत साधारण से संशाधन करने से यह सारे इसमें कर्ब हो जाते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि

सरकारने इसको हाथ में लेकर प्रथम चरण को पूरा किया है जिससे 29 हजार टन रिफ्रैक्टरी निकलेगी। आज विदेशों में रिफ्रैक्टरी मंगानी पड़ती है। बोकारों स्टील प्लांट के लिये भी विदेशों से रिफ्रैक्टरी मंगानी पड़ती है। अब हमारी यह जरूरत पूरी होगी। जनवरी, 1960 में लाइसेंस लेकर 1972 तक यह काम पूरा काम नहीं कर सकी। जून, 1972 में इन्होंने हम बन्द कर दिया था और पाइलट प्रोजेक्ट को भी बन्द कर दिया था। इसीलिये सरकार ने नवम्बर, 1972 में इसे रिया। यह लिमिटेड कंपनी 1960 में पैदा हुई और 1968 तक का उनसे पास कोई एकाउन्ट नहीं है, फिर भी वह राज्य सरकारों और बैंकों से कर्जा ले रही थी। कम से कम आज उन पर एक एन वीराम लगा, यह बड़ी खुशी की बात है। मैं मंत्री सहोदय से आग्रह करता कि वह सदन को बताये कि उनके कितने क्रेडिट है, और वे कौन कौन है? या वह यह भी बताये कि उनकी जो फायरवले की माइन्स बिहार में हैं मिलिमेनाइट की मंडन मेन्थालय में है, उनको लेने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

SHRI CHAPALENDU BHATTACHARYYA (Giridih) Mr Deputy-Speaker, Sir, I wholeheartedly welcome this Bill, which in effect means the nationalisation of the Assam Sillimanite Limited. I do not know of a more deserving case of nationalisation and take-over than this factory.

I will not touch upon the points already touched upon by my hon friends.

MR DEPUTY-SPEAKER That would be a healthy precedent.

SHRI CHAPALENDU BHATTACHARYYA The crux of the matter is the refractory. The take-over of this refractory will enable us to have a programme of production of refrac-

actories, because there are many varieties of refractories and to have a long-range view bearing in mind the national good.

I would agree that the amount of compensation that we are paying is jolly well on the high side but, as against that, we have to consider the import substitution because otherwise we have to import refractories, literally from so many countries, particularly from those countries which are refusing to give us the technology in setting up blast furnaces.

15.26 hrs

[SHRI VASANT SAHAI in the Chair]

Here I would submit that not only the mines should be taken over but some sort of holding company should be built up right now, which can take over the kyanite mines, because kyanite and sillimanite are the basic raw materials for high alumina refractories. The healthy functioning of the blast furnace and the efficiency of its operation does depend entirely upon the quality of the refractories. Now there is some lag. We have not got full expertise of production of refractories. We have to plan ahead and get the technical data through collaboration, if possible, if not, by any other means by hook or crook, because close technical specifications and high standards are *sine qua non* of the efficiency of blast furnaces.

While discussing this Bill, I would like to say that we have to put a stop on the export of sillimanite and kyanite, because they are scarce raw materials. Even in the name of earning foreign exchange we should not export them, because we have not provided many mines which would be producing sillimanite in Nagaland or kyanite in Singhbhum. The factory is strategically located and the cost of transportation will be low. So, it is in the fitness of things that this factory is being taken over, especially

[SHRI CHAPALENDU BHATTACHARYYA]

when all the steel plants are within a radius of 100 miles or so.

The pertinent question is whether after the take-over of the management of the company, Government will be compensating the workers by paying the backlog of unpaid wages, because there are cases of unpaid wages prior to the take-over in 1972. What will happen to such cases? I hope you will set a high standard and not the plea of limitation.

These take-over Bill have model or standard clauses. So, I whole-heartedly welcome and support this Bill.

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): I welcome the Assam Sillimanite Ltd. (Acquisition and Transfer of Refractory Plant) Bill. The undertaking is situated in my State of Bihar, and I would like to make some suggestions for the consideration of Government.

The Assam Sillimanite Ltd., which was granted a licence in 1960 to produce 46,000 tonnes of refractories per annum and was to be set up in two stages with imported machinery, failed during its erection period, rendering about 300 workers idle, thus hampering the expected production of refractories for the public sector steel plants, which had to be imported, due to which Government lost a considerable amount of foreign exchange which could have been saved and spent on some other more important requirements of the country.

The management of the refractory plant was initially taken over by the Central Government for a period of three years and subsequently for another year. I do not know why the Government did not take it over straightway as suggested by me then, when it was evident that the earlier management in the private sector had failed to erect the second stage of the

plant. I cannot understand the reasons for this unnecessary delay. Similarly, there is only one steel plant left in the private sector which I have suggested should be taken over because they are going to compete with the Government in the foreign markets in steel, which would not be in the interests of the country. I want a clear-cut reply from the hon. Minister to this.

Government has got to pay under clause (8) Rs. 45 lakhs, under clause (9) Rs. 1,07,17,000 with four per cent interest per annum, plus Rs. 1,40,000 towards interest and under clause (10) another Rs. 2,500 per mensem—in all Rs. 1,55,00,000 unnecessarily. When we have amended the Constitution that if any plant or property is required by the Government in the public interest, Government need not pay any compensation, Government may pay even one rupee as a token, it is not understood why Government is going to pay Rs. 1,55,00,000. If Government want to pay such a huge compensation even when the plant is going to be taken over in the public and national interest, what was the necessity of amending the Constitution?

Another Rs. 6 crores is again required to be spent, as mentioned in the Bill, for fully erecting the second stage and suitably modifying the refractory plant. It would cost more than Rs. 6 crores if the second stage is not completed within a short period because prices of construction are going up day by day due to various reasons over which the Government have no control. Nothing is mentioned in this Bill as to when this plant would achieve its rated capacity and when the second stage of the plant would be completed.

It is mentioned in the Bill that if it is enacted, it is not likely to involve any other recurring or non-recurring expenditure. Perhaps the person who has drafted this Bill has got no idea of factories and plants under cons-

truction, or this para may have been overlooked by the Minister. No one can guarantee about the expenditure on such plants remaining stationary. The Government may have to revise the estimate of Rs. 6 crores during the second stage of construction of the refractory plant,....

MR. CHAIRMAN: You are not allowed to read. If you want to read it out, you can lay it on the Table of the House. Please do not appear to be reading.

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI: Thank you very much. The Government may have to revise the estimate of Rs. 6 crores during the second stage of construction of the refractory plant, just like Calcutta underground tube railways. Till today the Railway Ministry does not know what would be the actual amount spent when this project would be completed. They do not know how much money will be required to complete the construction.

Clause 14 provides for the appointment of Commissioner on payment and a provision of Rs. 10,000 per mensem has been made. I would like to know from where this amount will come, who will pay, what is the time limit of this Commissioner and how long it will take to pay the claim of the claimants? With these words, I support the Bill.

श्री जयश्याम शिब (सबुबनी) : सभा पति जी, मैं अपने विचार इस विधेयक पर व्यक्त करूँ—उस के पहले मैं अपना कर्तव्य सभ्यता है कि अपने नीजवान इस्पात मंत्री श्री चन्द्रश्रीत दादव की कार्यक्षमता और कार्यक्षमता की प्रशंसा करूँ। देश के लोहे की जितनी आवश्यकता है, उस को दृष्टि में रखते हुए इन्हें हम पर्याप्त उत्पादन करते हैं सी एक्सपोर्ट के द्वारा हम बहुत बड़ी संख्या में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है।

श्रीमन्, इस कम्पनी को यह फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई—लेकिन दुख यह है कि वह कम्पनी पहले चरण का काम ठीक से पूरा नहीं कर सकी। दूसरे चरण में वह केवल पायलेंट प्रोजेक्ट को ही बँटा सकी, लेकिन उसके बाद उसको भी बन्द कर दिया, नतीजा यह हुआ कि हमारे 200 कर्मचारी बेरोजगार हो गये। इसी दृष्टि में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किस परिस्थितियों में, किन कारण विवेक से उस कम्पनी को स्वीकृति दी गई थी, जिस ने देश के साथ इसी बड़ी छोटा बाबा की। मेरा यह प्रश्न है—किस प्राधान्य पर, क्या कंस्ट्रक्शिया था, जो उनको स्वीकृति दी गई और किम तरह ने वे अक्षम हुए—इन सारी बातों को वे विस्तार से बतानें।

उसके बाद 2 नवम्बर 1972 को इस कम्पनी का संचालन केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में लिया और उस के जो सुन्दर नतीजे निकले हैं, उस के लिये तो मैं मंत्री जी को बार-बार बधाई ही दूँगा। श्रीमन् आज जो विधेयक आया है उस में इन्होंने, कुछ कानून और नियम वहाँ काम करने वालों के लिये, अक्सरों के लिये उत्पादन के हक में बनाये हैं, वे बड़े ही प्रशंसनीय हैं। मैं इन सारी बातों के लिये इन की धूरिधूरि प्रशंसा करता हूँ, लेकिन एक दो प्रश्न पूछने से मैं अपने भाव को रोक भी नहीं सकता।

आप इस कम्पनी को मुद्राबचा देने जा रहे हैं—तब से पहले तो मुझे मुद्राबचा देने पर ही एनराज है, जिस ने मेरे साथ गंदारी की है, उस को मैं मुद्राबचा दूँ, वह कौसा न्याय है और इस के साथ ही जोषि ने यह प्राचीन भी रखा है कि जब तक पूरी अदायगी न हो, तब तक 4 गीसत का व्याज भी देंगे। यह कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस कम्पनी को चलाने के लिए

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

हम को नये सिरे से सामान जुटाना पड़ेगा, मशीनरी लगानी होगी और काम को चलाने के लिये भी रुपया लगाना होगा—ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि उन को किसी तरह का कोई मुआवजा दिया जाय। लेकिन आप उन को 1 करोड़ 7 लाख 17 हजार रुपया देने जा रहे हैं और उस पर भी 4 प्रतिशत का व्याज देंगे। इस के अलावा केन्द्रीय सरकार को इस कम्पनी को विस्तार से चलाने के लिये 45 लाख रुपया और चाहिये। आप ने इस विधेयक के खण्ड 10 में प्रोबीखन किया है कि जब से इस कम्पनी को लिया गया है, यानी 2 नवम्बर से, तब से उन को 2500 रुपया प्रति माह देंगे। और उस पर भी चार प्रतिशत का व्याज होगा। यदि यह विधेयक अधिनियम हो जाता है तो सरकार को अनावर्ती व्यय 1 करोड़ 54 लाख 64 हजार ६० देना होगा, जिस में से 45 लाख ६० हिन्दुस्तान स्टील को संदेय होगा।

आप ने एक आयुक्त की नियुक्ति की है जो यह देखभाल करेगा कि किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। जिस कर्म-जारी को शिकायत होगी वह 30 दिन के अन्दर अपनी शिकायत देगा और किसी विशेष कारण से अगर 30 दिन के बाद भी आता है तो वह दूसरे 30 दिन में अपनी बात कह सकता है। यह एक अच्छी बात है।

रिफ्रेक्टरी संयंत्र के निर्माण और परिवर्तन के लिये 6 करोड़ ६० और लगाना होगा। इस कम्पनी को हर्जाना भी देंगे और इस को चलाने के लिये भी रुपया खर्च करना पड़ेगा, यह कहां का न्याय है।

कर्मचारियों की सेवा एवं अन्य सु-विधाएँ सुरक्षित रहेंगी, यह अच्छी बात है।

कोई व्यक्ति संयंत्र के खिलाफ अपनी भांग उपायुक्त के सामने रख सकेगा यह भी अच्छी बात है। अगर रिफ्रेक्टरी के उत्पादन में वृद्धि होती है तो इस को अपने हाथ में लेना जनहित में है और इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। सब का कल्याण हो और यह कारखाना ठीक से चले और खूब लोहे का उत्पादन हो जिस से न केवल अपनी भांग ही पूरी कर सकें, बल्कि विदेशों की भी एक्सपोर्ट कर सकें इस आशा से और आकांक्षा से मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूँ।

श्री हामोदर पांडे (हुजारी बाग) : सभापति जी, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। वह कारखाना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है और इस की हर अच्छाई और बुराई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिये भी कि मैं उन मजदूरों का प्रतिनिधि हूँ और उन की यूनियन का सभापति भी हूँ। क्या क्या दिक्कतों को सामना करना पड़ा, तीन साल के बीच किस तरह की मुसीबतों के बीच रह कर यह कारखाना 3 साल चला, इस से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। इस कारखाने की जो उत्पादन क्षमता आज है उस उत्पादन क्षमता को पूरे रूप से कार्य रूप में लाने के लिये क्या क्या सकट खड़े होते थे, किस तरह से हार्ड कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बदौलत हम एक आदमी की बहां बहाली नहीं कर सकते थे, एक मशीन में रद्दोबदल नहीं कर सकते थे, कोई सुधार का काम नहीं कर सकते थे, इन सब दिक्कतों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इन दिक्कतों की वजह से तीन साल कारखाना जो चला और उस के उत्पादन से जो मुनाफा कमाता चाहिये था वह हम नहीं कमा सके। मालिकों को ही मुनाफा हुआ हो ऐसी बात नहीं है मजदूरों को भी बाटा हुआ। जब आप ने हिन्दुस्तान स्टील के वेज स्केज को बंदारीदाह में जागू

किया और हज ने कहा कि यहा भी उस को लागू करो तो यह सवाल खडा होता था कि यह कारखाना हमारा नहीं है, हम तो दूसरे की तरफ से चला रहे हैं। मतलब यह कि हमारा काफी नुकसान होता था। मुझे अ.शा है कि हमारी जो मूसीबत थी उस को आगे चल कर आप दूर कर देगे और तीनों कारखाने जो इन के अन्दर चल रहे हैं, जो देश के बडे से बडे कारखानों में हैं जिसके चलाने की जिम्मेदारी हमारे प्रातिगौरव मंत्री महोदय पर है, इसको सुचारु रूप से चलाने के क्रम में यह भी काम कर देगे ताकि मजदूरों को उन के उचित हक मिले।

एक, दो खामियां जो मुझे नजर आती हैं उनको बताना चाहता हूँ। एक तो हमारे पूर्व वक्तव्यों में भी कहा जहा यह प्रावधान रखा गया है कि बिल में कि इस फैक्ट्री को टेक ओवर किया जाय और उस के संबंधित चीजों को टेक ओवर किया जाय तो सेक्शन 2 (डी) और सेक्शन 5(1) में थोडा मतभेद नजर आता है इस में यह है कि खदान के अलावा सब को ले लेंगे। तो खदान को क्यों नहीं लेंगे? खदान का लीज इस फैक्ट्री को इसलिये मिला था कि इस फैक्ट्री को चलाये। और इस के पूर्व मालिक के जो सारे कुकर्म सामने नहीं आये, थोडे से ही सामने आये, और उस का जो नतीजा हम देखने हैं सोना पहाड की सोनामनी माइन सिर्फ उसको चलाने के लिये कारखाने का नाम रखा गया। कारखाना बन्द रहता था, खदान चलती थी और मिनरल को ऐक्सपोर्ट किया जाता था और उस से जो पैसा कमाया जाता था उसको स्विटजरलैंड के बैंक में जमा किया जाता था। तो इस तरह का सिलसिला जो पूर्व मालिकों के कुकर्मों का चलता था, वह नहीं चलेगा। मुझे खुशी है कि सोना माइंस को हिन्दुस्तान स्टील चला रहा है। उसका लीज टर्मिनेट कर दिया गया और नये लीज में हिन्दुस्तान

स्टील प्रोप्राइटर है और जितने भी उस में वर्कर्स काम करते थे उनको उस में रख लिया गया है। यह बड़ी खुशी की बात है, सोप की बात है लेकिन छोटे छोटे म.इ.स. को ले कर चलाने की बात नये सिरे से करनी होगी और जिस तरह ही शलनी कोयला खदान में हुई कि पूरे कोयले उद्योग का नेशनलाइजेशन नहीं किया गया जिसका नतीजा यह है कि दस दम, बीस बीस और पचास पचास साल पुरानी लीज वाली गैर-कानूनी कोयला खदानों का चलना शुरू हो गया है, ऐसा ही खतरा यहा भी नजर आता है कि वही मालिक खुद गलत तरीके से खदान चलाना शुरू कर दे। फैक्ट्री चलाने की उन की मशा कभी नहीं थी, वे तो खदान चलाना चाहते थे। अगर उसको छोड दिया गया, तो हम समझते हैं कि बहुत अन्याय हो जाएगा देश के साथ और इस कारखाने के साथ। तो मेरा सुझाव यह है कि उसमें इसको शामिल कर लेना चाहिए।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि मजदूरों के बारे में तो बड़ी गतिशील दृष्टि रखी गई है। कहा गया है कि उनका जो भी हक है वह उनको सब से पहले दिया जाएगा लेकिन दो खामियां रह गई हैं। एक तो यह है कि जिस दिन टेक-ओवर हुआ यानी सन् 1972 में, इससे पहले की नौकरी का क्या होगा। बहुत दिनों से लोग वहा पर काम कर रहे थे, लेकिन उनको सर्विस की कन्टिन्युटी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यह तो सही है कि अगर उनको नहीं निकाल रहे हैं और तीन साल से वे काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे लेकिन मेरा सुझाव यह है कि उनको सतोष देने के लिए इस के बारे में अगर आप इस बिल में कुछ रख देते तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं आता बल्कि उन लोगोंको यह फायदा होगा कि जब वे रिटायर होंगे, तो प्रेन्च्युटी में उ

[श्री लोनोवर बाई]

की पुरानी कर्मिण भी बांकी जाती । उक्त पुरानी कर्मिण को लोनोवर के विद्युत् कर्मिणों की भाँति लोनोवर तथा प्रबंधन होना चाहिए और इस पर धन को विचार करना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि प्रोविडेंट फंड की राशि को पुराने मालिकों ने काट ली थी, उस को उन्होंने प्रोविडेंट फंड धारिता में खर्च नहीं कराया । जो बचाया है, उस की तो मजदूर वसूल कर लेगे लेकिन प्रोविडेंट फंड के बारे में क्या होगा उस को बर्से चार्ज दिया गया है । फस्ट और सैकण्ड चार्ज ने उस को नहीं डाला गया है । कम्पेन्सन्स के बारे में काफ़ी विरोध यहाँ पर हुआ और सभी लोगों ने कहा है कि इतना कम्पेन्सन्स क्यों दे रहे हैं । जितना कम्पेन्सन्स भ्राप दे रहे हैं उस में से बैंक और सेवयोर्ड क्रेडिटर्स को चुकाने के बाद और मजदूरों का पैसा चुकाने के बाद प्रोविडेंट फंड के लिए एक पैसा भी बचने वाला नहीं है और प्रोविडेंट फंड का खाता खाली का खाली रह जाएगा । इसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह से मजदूरों के बचाया को फस्ट चार्ज दिया गया है, उसी तरह से प्रोविडेंट फंड की जो बचाया राशि है और जिसे मालिकों ने हड़प लिया है, उस को भी फस्ट चीज में शामिल करने का प्रावधान होना चाहिए और उस के बाद जो पैसा बचे तब भ्राप सैकण्ड क्रेडिटर्स को दें ।

इस के साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ और जैसा कि पूर्व बक्ताओं ने भी कहा है कि देश में कल-कारखाने बने और ज्यादा के ज्यादा कल-कारखाने बने और इस के लिए प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तरजीह देते हैं लेकिन इस तरह की मुद्दागर्ची जो प्राइवेट सेक्टर में हो रही है, उसे बन्द

करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए । जब ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोनोवर को लोनोवर बैंकों का हड़प लिया है, सरकार का हड़प लिया है । प्राइवेट स्टील प्लांट की रिक्लैमटरी की डिमाण्ड को सब लोन जायते हैं । इसे काफी तरजीह दी गई है । सरकार से इसके लिए काफी लोन दिया है, बैंकों ने काफी लोन दिया है । प्राइवेट उस लोन के पीछे को धा करके कोई जा कर स्विटजरलैंड में रह रहा है और किसी ने बम्बई में प्रत्यक्ष कारखाना खरीद लिया है ।

इस वजह से इन कारखानों की दुर्गति हो जाए तो सिर्फ कम्पेन्सन्स एमंडट से हम यह जो लोन की प्रत्यागणी करना चाहते हैं तो वह बाते कुछ जचती नहीं हैं । क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह से प्राइवेट हमने स्मगलर्स के वास्ते किया है ? इन लोको ने गलत तरीके से जो प्रापर्टी एक्वायर की है, धन कमाया है क्या हम उस धन को जब्त नहीं कर सकते हैं ? क्या इसका प्रावधान इस बिल में नहीं किया जा सकता है ? लाच्छो क्यया बैंको का, या सरकार का जो इन्होंने हड़प लिया है, डकार गए हैं धर जा कर स्विटजरलैंड में धर बना लिया है, विल्ली से बोश लीकेलिटीज में धर बना लिए हैं, क्या उन धरों को हड़पा नहीं जा सकता है ? इसीगल तरीके से उन्होंने जिस प्रापर्टी को एक्वायर किया है क्या कर्ज के भुगतान के लिए उन प्रापर्टीज को एक्वायर नहीं किया जा सकता है ? मैं चाहता हूँ कि इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे ।

सिन्धयोर्ड क्रेडिटर्स को जो भ्राप कम्पेन्सन्स देने वह तो देवे ही । लेकिन यह तो एक हड़प से लेना और दूसरे से लेना होगा । या तो वे नेशनलाइज्ड बैंक हैं या बह्यार धर्ममंडे

है या हिन्दुस्तान स्टील है जो खुद उसकी चला रहा है। आपस में एक हफ्ते से देकर दूसरे हफ्ते में आप ले रहे हैं। ऐसा न करके बेरा सुझाव है कि गलत तरीके से पुराने मालिकों ने जो पैसा हड़पा है उस पैसे को निकालने की व्यवस्था होगी चाहिये और उसके लिए इस में प्रावधान होना चाहिये। एक बसा की अगर उनके जिम्मे निकले तो उसको निकाला जाना चाहिये। पूर्व बक्ता महोदय ने कहा कि 1968 का कोई एकाउंट नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी एकाउंटे-बिलिटी किस पर है? क्या कम्पनी ऐक्ट में प्रावधान नहीं है कि उसकी एकाउंटेबिलिटी वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर पर होनी चाहिये? क्या उनको आज हाल आप नहीं किया जा सकता है, कठघड़े में खड़ा नहीं किया जा सकता है। गलत तरीके से उन्होंने जो धन बटोरा है उसके लिए उनको कठघड़े में खड़ा करने का प्रावधान भी किया जाना चाहिये।

देर से ही सही, लेकिन आज जो शुभ काम होने जा रहा है, अच्छे काम आप करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।

श्री राजावतार शास्त्री (पटना) :
 हम असम सिलिमिनाइट लिमिटेड को अपने हाथ में लेने के विधेयक पर विचार कर रहे हैं। सरकार के वक्तव्य के अनुसार इस कम्पनी ने 1960 में लाइसेंस प्राप्त किया था। उसमें बाद दो चरणों में इस कम्पनी को पूरे कारखाने को खड़ा कर देना था। लेकिन 1972 तक यानी बारह बरस तक, जोकि कम अवधि नहीं है, कम्पनी कारखाने को नहीं बना सकी और उसके बाद सरकार को इसे अपने हाथ में लेना पड़ा। इतनी बड़ी मक्दमी इन लोगों ने की, इस कम्पनी के

मालिक ने की तो आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या इतना ही काफी है कि हब्ब केवल इस कारखाने को ले लें? कार्रवाई करने की बात तो दूर रही उनको मुआवजे के रूप में या पेमेंट के रूप में 1 करोड़ 7 लाख 17 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अर्बाई हजार प्रत्येक माह में भी हम देने। फिर आप 4 प्रतिशत बूझ भी उन्हें देने तो उन्हें यह क्या सजा मिली? उनकी तो पाँचों उंबलियाँ धी में चली गईं। उन्होंने तो सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है और देश को नुकसान पहुंचाया है। जो रिफ़ॉक्ट्रीज बन सकती थी, उनकी हमारे देश में बहुत जरूरत है, वह तो बड़ी नहीं, बल्कि सरकार उनको इस तरह से रिवाइंड दे रही है, पारि-तोषक दे रही है, यह गलत बात है। उन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे कुछ बसूल करना चाहिये। उन्हें सजा मिलनी चाहिये, कुछ भी देने का संकल्प है ही नहीं। ब्याज के नाम पर भी कानी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है। पूरे कारखाने का राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत है क्योंकि इसकी हमारे महा बहुत आवश्यकता है। होना भी यही चाहिये था।

महो जी ने कहा है कि 1972 में कारखाना बन्द हो जाने से 200 से ज्यादा मजदूर बेकार हो गये, इसलिये उनमें हितों की रक्षा करने के लिये इसे लेना ठीक था। जो भी मजदूर जब से काम कर रहे हैं, उन्ही समय से उनकी सेवा को जोड़ा जाना चाहिये। सरकार ने जब से इसे लिया है, उससे पहले की अवधि और कारखाना बन्द होने के समय की अवधि को भी उनकी सेवा की अवधि तसलीम करना चाहिये और उसे मानते हुए सारी सुविधाएँ उनको दी जानी चाहियें। श्री दामोदर पांडे ने यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण

[श्री राम प्रसाद शास्त्री]

उठाया है। जब आप मजदूरों की मदद करना चाहते हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब उनकी सारी सेवा की अवधि एक स्वीकार की जायेगी तभी उन्हें तमाम अधिकार भविष्य में भी और भ्रम भी प्राप्त होंगे। जो आप उनको सुविधाएं देना चाहते हैं, ट्रेड यूनियन कानून के मुताबिक, वह तभी उन्हें मिल सकेंगी जब उनकी सारी सेवा गिनी जायेगी। मजदूरों को सन्देह है कि जब कारखाना बन्द हो गया और उसके बाद जब सरकार ने उसको लिया, उसके बीच की अवधि के बारे में सरकार क्या करने जा रही है? चूंकि इस बिल में इस बारे में कोई जिक्र नहीं है इसलिये मजदूरों को सन्देह है कि उनकी सेवा में व्यवधान पड़ जायेगा।

जहां तक प्राविडेंट फंड का सम्बन्ध है श्री दामोदर पांडे ने ठीक सवाल उठाया। मजदूरों का हिस्सा 6 लाख रुपये है। मालिकों का हिस्सा भ्रम होना, लेकिन उनकी राशि का भन्दाबड़ा मुझे नहीं है। यह सारा पैसा मजदूरों को मिल जाना चाहिये। पहले मजदूरों को पूरी भ्रमायी कर के फिर मुआबजा दिया जाये। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो मजदूरों का आर्थिक नुकसान होगा, और आजकल की मंहगाई के जमाने में उनकी कठिनाई बढ़ेगी।

गवर्नमेंट इस कंपनी को टेक-ओवर कर रही है। हमारी तो मांग है कि इसका बिल्कुल राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। लेकिन अगर सरकार इसको सिर्फ टेक-ओवर करने तक तैयार है तो फिर उसको मुआबजा और कई दूसरी तरह से पेमेंट नहीं देना चाहिये।

मजदूरों के तमाम हितों की रक्षा की जानी चाहिये। ऐसा कोई सुराख न छोड़ा जाये जिससे उनको नुकसान हो। ऐसा न हो कि मालिक भी उनको कुछ न दें और सरकार के अधिकारी भी कहें कि बिल में यह साफ नहीं है, हम क्या करें। इसलिये सरकार को इस बिल में हर बात की बिल्कुल साफ साफ व्यवस्था करनी चाहिये ताकि मजदूरों को नुकसान न हो और रिफ्रेक्टरी का उत्पादन बढ़े। रिफ्रेक्टरी का उत्पादन 56 हजार टन होना था लेकिन 12 सालों में कुछ उत्पादन नहीं हुआ। मालिकों ने गोलमाल किया है और राष्ट्रविरोधी काम किया है। जो मालिक लाइसेंस लेकर सरकार और देश को धोखा दे और उसके खिलाफ कार्यवाही न की जाये यह हमारी नपुंसकता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि देश को भी धोखा दिया है।

16 hrs.

[SHRI ISHAQUE SAMBHALI in the Chair]

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, हमारी यह परम्परा रही है कि किसी उद्योग या फ़ैक्टरी को टेक-ओवर करने के प्रश्न को आखिरी समय तक गुप्त रखा जाये। जब स्वर्गीय श्री कुमार-मंगलम ने स्टील फ़ैक्टरीज को टेक-ओवर किया था, तो उस मामले को बैल-गाडिड सीक्रेट की तरह रखा गया था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस कम्पनी के टेक-ओवर का कब से चल रहा है। क्या इस कम्पनी के

मालिक को पहले से ही यह मालूम हो गया था कि टेक-श्रोवर होने वाला है ? इस बात की सफाई होना बहुत जरूरी है ।
 (शुद्धबान)

अगर सरकार किसी कम्पनी की मशीन-री प्राई के खराब होने और उसके एसेट्स के बर्बाद होने के बाद उस को ले लेगी, वह उस की लायबिलिटीज के लिए भी जिम्मेदार होगी और उस को मुआवजा भी देगी, तो इस का मतलब यह है कि कम्पनी का मालिक बहुत सस्ते में छूट जायेगा, और जिन लोगों ने उस कम्पनी में इनवेस्ट किया है, उन सब का बहुत नुकसान होगा । इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बात की एनक्वायरी होनी चाहिए कि इस कम्पनी को किम तरह मिसमैनेज किया गया है ।

अभी माननीय सदस्यों ने बताया है कि इस कम्पनी के मालिक ने प्रॉविडेंट फंड भी हजम कर लिया है और मजदूरों को भी पैसा नहीं दिया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बारे में और कोई ऐक्शन लेने जा रही है या नहीं ।

जहाँ तक कम्पेंसेशन का सम्बन्ध है लायबिलिटीज को 100 परसेंट एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ बचता है, तो वह मालिक को दे दिया जाये । अगर लायबिलिटीज को एडजस्ट करने के बाद एसेट्स कम पड़ते हैं, तो क्या गवर्नमेंट उस व्यक्ति की जाती जायदाद को अपनी निगरानी में ले कर नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार है या नहीं ? अगर सरकार की नीति यही रही, तो देश का हर एक कम्पनी-मालिक अपनी कम्पनी को दिवालिया करार देगा, कम्पनी के धंसाने को अपने घर में रखेगा और कम्पनी को गवर्नमेंट को हँडओवर

कर देगा । शूगर मिना का राष्ट्रीयकरण को भी बहुत चर्चा हो रही है । कई शूगर मिलों में कोई मशीनरी नहीं है, खाली टिन शेंड पड़े हुए हैं । इसलिए गवर्नमेंट को हर एक कम्पनी की करतूतों पर खास निगरानी रखनी चाहिए । इस कम्पनी की लायबिलिटीज के बारे में गवर्नमेंट क्या करने वाली है, अगर मिनिस्टर साहब डीटेल में इसका जवाब दें, तो मुनासिब होगा ।

इस्पात और ज्ञान बंधी (श्री चन्द्रजीत दास) सभापति महोदय, इन बहस के दौरान कई सवाल उठाये गये हैं । पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इस बिल को मराहा है कि इस कारखाने को सरकार को अपने अधिकार में लेना जरूरी था । मैंने पहले ही बताया था कि इसकी ग्रहणियत को समझना चाहिए । हमारे इस्पात के कारखानों के लिए रिफ्रैक्ट्री की बहुत जरूरत है और इस मुल्क में हमें ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्ट्री बनानी है । जिस तरह की माइन्स इस फेक्ट्री के पास थी वह एक खास तरह की माइन्स थी, उसको ले कर हम उत तरह की रिफ्रैक्ट्री बना सकते थे । हमारा ध्यान इस की तरफ काफी है कि हम अपने मुल्क में अपनी जरूरत के मुताबिक रिफ्रैक्ट्री बनाएँ और सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक से अधिक बनाएँ । इसीलिए भिलाई कारखाने की अपनी योजना है 1 लाख 10 हजार टन की रिफ्रैक्ट्री बनाने की । तो हमारा प्रयास उस दिशा में पहले से ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्ट्री बनाएँ, सार्वजनिक क्षेत्र में बनाएँ और अपने कारखाने की जो जरूरत है उत को उस से पूरा करे तथा जो हम को दूसरे मुल्कों से मगाना पड़ना है उस को जितनी जल्दी से जल्दी बन्द कर सके करें ।

[श्री चन्द्रजीत दादव]

कई बातें कही गई हैं इस कारखाने के मालिक के बारे में और इस कारखाने के बारे में। अगर इसकी हालत बुरी न होती और इसका प्रबन्ध खराब नहीं होता तो इसको लेने की जरूरत नहीं थी। अभी भी हम अपने देश में मिश्रित अर्ध-व्यवस्था को मानते हैं। उसमें बहुत से कारखाने और बहुत से उद्योग धन्धे लोग चला रहे हैं। लेकिन जब कोई नियमों का उल्लंघन करता है और उस का प्रबन्ध ठीक से नहीं कर पाता, देश को नुकसान होता है, जिस चीज की जरूरत होती है वह उस में ठीक से पैदा नहीं करता है तो सरकार को ऐसे वक्त पर ऐसा कदम उठाना पड़ता है और इसीलिए आज से लगभग 3 साल पहले इस कारखाने का प्रबन्ध जब काफी खराब हो गया था उस समय उस को लिया गया और माननीय दामोदर पांडेय जिनके क्षेत्र में यह कारखाना है उन्होंने इस में काफी विल-चस्प्टी ली क्योंकि उस वक्त मजदूर बर्कार हो गए थे। तो मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए, उस प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस वक्त उचित समझा कि इसके प्रबन्ध को अपने हाथ में ले ले।

कहा गया कि हम इसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हमारी समझ में नहीं आता कि हम शब्दों के जाल में क्यों फसते हैं? यह कारखाना मुकम्मिल तौर पर सरकार खुद अपने हाथ में ले रही है, यह नहीं कि प्रबन्ध ले रही है, बल्कि कारखाना खुद सरकार अपने हाथ में ले रही है। अब इसको राष्ट्रीयकरण आप नहीं समझते हैं तो दूसरा क्या है। पब्लिक सेक्टर की सम्पत्ति यह कारखाना होगा। इस

का प्रबन्ध इसको सम्पत्ति सब सरकार के का हमारे किसी सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में होगी +

दूसरी बात—कई माननीय सदस्यों ने इस पर जोर दिया है कि हम इसमें जो रकम दे रहे हैं—कोई कम्पेन्सेशन हम नहीं दे रहे हैं—लेकिन जो रकम हम को देनी पड़ रही है वह काफी बड़ी रकम है। इसको हम देखें तो 107 लाख 17 हजार रुपया हम को इस वक्त देना है अगर हम 38.05 लाख को निकास दे जो हिन्दुस्तान स्टील की इस में पूजी लगी हुई थी जिस के लिए सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। अब इस में हम दे किस को रहे हैं? अगर सरकार के एक हाथ से दूसरे हाथ को देना है तो उस का सवाल नहीं होना चाहिए। अगर केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार को देना है तो मेरा क्याल है कि बिहार के कई माननीय सदस्यों ने इस पर धावण दिया, कोई नहीं चाहेगा कि न दिया जाय। बिहार सरकार को अपनी आमदनी कम है, सीमित आमदनी है, अगर उस को पैसा न दिया जाय तो उस को भी दिक्कत होगी। या हमारे जो बैंक है जो कारोबार करते हैं, कर्जा देते हैं, एक संगठन है, आटोनामस बाडी है, अगर बैंको का कर्जा सारा भारा जाय और लोग खा जाय तो बैंक चल से कर्जा देना बन्द कर देंगे। तब भी एक दिक्कत पड़ेगी। यह नहीं है कि हम कोई मालिक को दे रहे हैं। 107.17 लाख में से 7 लाख 3 हजार तो हम श्रमिकों को दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इस बात का स्वागत किया है। हम ने खास तौर से इस बात को देखा कि जो श्रमिकों का रुपया बकाया है उस को पहली प्राथमिकी देनी है। सबसे पहले उन का बकाया

कथन उनको दिया जावेगा ताकि जो हमारे अधिक हैं जिन्होंने पहले भी काम किया है पुराने अधिक के अन्तर्गत में उनकी सैलरी बाकी है या उन का प्राविडेंट फंड का खर्चा बाकी है तो उसको पहली प्राथमिकता देनी है। उस के बाद जब से बड़ी रकम पंजाब नेशनल बैंक को देनी है जो राष्ट्रीयकृत बैंक है। इस बैंक का 70.15 लाख खर्चा है जो हम इसको देंगे। सेक्रेण्ट प्राविडेंट सेवोर्ड लोन की है और यह सेवोर्ड लोन में से है। 107 लाख जो दे रहें है उसमें से 70 लाख 15 हजार रुपया पंजाब नेशनल बैंक को देंगे। स्टेट बैंक आफ इंडिया को 6.21 लाख खर्चा देंगे और बिहार सरकार को 23 लाख 78 हजार रुपया देना है। यह अगर आप देखें तो यह सारा खर्चा जो हम दे रहे है यह बाकी मजदूरों को, पंजाब नेशनल बैंक को और स्टेट बैंक को तथा बिहार सरकार को हम दे रहे है सिवाय 1 लाख रुपये के जो मनेजमेंट कम्पेन्सेशन के रूप में हम को देना पड़ेगा। वह भी हमारे ला डिपार्टमेंट की ऐडवाइस है सुप्रोम कोर्ट की एक रूलिंग की बुनियाद पर, उसी के लिए 1 लाख रुपया मनेजमेंट कम्पेन्सेशन का है।

श्री बालोबर पांडेय : प्राविडेंट फंड जो खा गए उस में ऐडजस्ट किया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह सब बात मैं धन्य से और कर लूंगा। इस वक्त कानून जो बन रहा है वह इस प्रकार है।

श्री राम नारायण शर्मा : 7 लाख 3 हजार जो है उस में प्राविडेंट फंड की रकम है या नहीं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : है। तो वे मुख्य बात थी जिन के ऊपर जोर दिया गया था। दूसरी बात मैं यह कहूंगा, कहूँ क्या कि खाने जो हैं वह क्यों नहीं ले रहें हैं ? खानों की स्थिति यह है कि स्टेट गवर्नमेंट उन की कानूनन और होती है और वह लीज पर देती है। इस को हम कोई एक्वायर या नेशनलाइज नही कर रहें हैं। खान स्टेट गवर्नमेंट की प्रापर्टी है और वह खुद लीज पर उसको देती है। क्यों कि इस कारखाने को जरूरत थी तो वह इस तरह से उन से लीज पर लेते थे। मेचालय की सरकार ने खुद समझा कि कम्पनी इसका इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं कर रही है। और हम को भी जरूरत थी—इस लिए पहले से उन की लीज कन्सिल कर दी गई और यह लीज हम को—यानी हिन्दुस्तान स्टील को 20 साल के लिए मिल गई है। उनकी लीज अवधि से पहले ही कन्सिल कर दी गई थी।

कुछ उन के पास ऐसी मशीन और प्रापर्टी थी—जिस के लिए हम जरूरी नहीं समझते थे कि पैसा खर्च करें, उन का हम कोई कम्पेन्सेशन नहीं दे रहे है और न ही हम ने बैल्यूएशन कराया है। ऐसी बहुत सी चीजें उनकी खान पर थी और कुछ मशीनें कलकत्ता में भी थी। इसलिए जो चीजें हम ने जरूरी नहीं समझी, उन के लिए कम्पेन्सेशन देना और उन का एक्वायर करना हमने मुनासिब नही समझा।

मुख्य रूप से जो प्रश्न उठाये गये है—मैं फिर इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ कि हम ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि हमारे मजदूरों का हित खराब न हो। पहले वहाँ पर 215

[श्री चन्द्रजित यादव]

मजदूर बेकार पड़े हुए थे, लेकिन अब वहाँ पर 280 हैं। पहले उन का वेतनक्रम भी बहुत दयनीय था, उस को सुधारने का प्रयत्न भी किया है। जहाँ तक कारखाने में हाथा लगाने की बात है, अगर कारखाने को बनाना है तो रुपया तो लगाना ही पड़ेगा, कारखाने की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उस के लिए भी जो खर्चा जरूरी है, वह करना ही होगा। जहाँ तक मेरे मित्र श्री भट्टाचार्य, श्री पाण्डे जी और श्री शर्मा जी के सुझावों का प्रश्न है—हम ने उन बातों को ध्यान में रख कर ही इन कानून को बनाने की कोशिश की है और इस बात की कोशिश की है कि कैसे वहाँ की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो सकती है, कैसे मजदूरों के हितों को रखा हो सकती है। फिर भी मैं उन तमाम सुझावों का स्वागत करता हूँ और आगे भी आप जो सुझाव देना चाहे, अवश्य दीजिए—मैं उन पर अवश्य विचार करूँगा। मैं आप को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे मजदूर जो आज हमारे राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने और खास तौर से ऐसे हल्को के उत्पादन के बढ़ाने में जो देश की औद्योगिक प्रगति के लिए जरूरी है, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, जो हमारे उत्पादन को बढ़ाने में दिन-रात काम कर रहे हैं, हमारे औद्योगिक क्षेत्र में जिन मजदूरों ने शान्ति की व्यवस्था पैदा की है, उन मजदूरों के हित, उन की भलाई—चा उन की नौकरी का सवाल हो, मंहगाई भत्ते का सवाल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल हो, उन के मनोरंजन का सवाल हो, इन सब बातों पर ध्यान रखा जायगा कि हमारे मजदूर सन्तुष्ट रहें और देश के उत्पादन को बढ़ाने में हमेशा सहयोग दें।

इन शब्दों के साथ मैं काफ़ी करता हूँ कि आप इन्हें विधेयक को पास करेंगे।

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar): I wish to ask one question as this relates to Assam. There is a rumour that this is pre-manipulated by the persons concerned and that the compensation paid by the Government is very high. I want to know whether this is correct or not.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: I think the hon. Member has not heard the translation because this was the first thing which I explained. This is only the amount which we are going to pay and this is not really speaking, a compensation. And, in this amount which we are going to pay, the priority, which is first priority is to the dues of workers and this is about Rs. 7 lakhs. We have to pay to the workers, provident fund, salary and other dues. The second thing will be the secured loans and about those loans I have given the figure. Some of the loans belong to the other nationalised banks, Bihar Government, etc. The figure about Punjab National Bank is Rs. 70.15 lakhs, State Bank of India Rs. 6.21 lakhs and Bihar Government Rs. 23.78 lakhs totalling to Rs. 100.14 lakhs. I have given this figure already.

MR CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the Assam Sillimanite Limited in respect of its Refractory Plant and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We now take up clause by clause consideration.

श्री रामाबतार शास्त्री: मेरे अमेन्डमेंट्स का क्या हुमा!

सभापति महोदय आप को अमेन्डमेंट देर में पाये हैं इसलिये नहीं लिये जा सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to clauses 2 to 8.

The question is:

"That clauses 2 to 8 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are amendments to clause 9. Shri Somnath Chatterjee, Dinen Bhattacharyya and Shri Samar Mukherjee are not here.

The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to clauses 10 and 11.

The question is:

"That clauses 10 and 11 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 10 and 11 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are amendments to clause 12. Shri Somnath Chatterjee, Shri Dinen Bhatia-charrya and Shri Samar Mukherjee are not here.

The question is:

"That clause 12 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There is an amendment to clause 13. Shri Som-

nath Chatterjee, Shri Dinen Bhattacharyya and Shri Samar Mukherjee are not here.

The question is:

"That clause 13 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clauses 14 and 15 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are amendments to clause 16. Shri Somnath Chatterjee, Shri Dinen Bhattacharyya and Shri Samar Mukherjee are not here.

The question is:

"That clause 16 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

Clause 17 to 30 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

Enacting Formula

MR. CHAIRMAN: There is Government amendment.

Amendment made:

Page 2, line 5,—

for "Twenty-sixth"

substitute—

"Twenty-seventh" (9)

(Shri Chandrajit Yadav)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: Sir, I move:

"That the Bill as amended, be passed."

MR CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

16.20 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE DIS-
APPROVAL OF DELHI RENT CON-
TROL (AMENDMENT) ORDINANCE
AND DELHI RENT CONTROL
(AMENDMENT) BILL

SHRI INDRAJIT GUPTA (Ali-
pore): Sir, I beg to move:

"This House disapproves of the Delhi Rent Control (Amendment) Ordinance, 1975 (Ordinance No. 24 of 1975) promulgated by the President on the 1st December, 1975."

The statutory resolution of disapproval of the Delhi Rent Control (Amendment) Ordinance, 1975, I have moved. Naturally I will take this opportunity of making my general observations on the Bill which is also to be discussed along with my Resolution.

First I must explain the reason for my tabling this Resolution of disap-

proval because at first sight it might be claimed—and it is actually being claimed by the Government in the statement of objects and reasons—that certain classes of people who did not enjoy any protection from eviction under the existing Act are now going to be conferred with some measure of protection and that this was a long-standing demand of the people which also is a fact. It is a fact that under the existing dispensation, when this amendment seeks to change, on the death of a tenant the other persons occupying that premises along with him including members of his family are liable to be evicted straightway. They had no claim to remain in occupation of the premises once the tenant had died. Now, the Government is wanting in the statement of objects and reasons to confer the right of tenancy on certain heirs/successors of a deceased statutory tenant so that they may be protected from eviction by landlords. This is what is sought to be conferred by this Bill. In Clause 2 certain categories of persons have been specified such as (a) spouse, (b) son or daughter, or where there are both son and daughter both of them, (c) parents, (d) daughter-in-law being the widow of his pre-deceased son. These relations of the deceased person may be permitted to continue in possession after the termination of his tenancy provided they had ordinarily been living in the premises with such person up to the date of his death. Sir my reason for opposing this amending bill is that if you go into the provisions of the Bill, you will find that actually the protection that it claims to confer is being negated and nullified by some of the provisions and by and large, if the Bill is taken as a whole, we apprehend that the net gain in the end will not be the tenants of this city but the landlords. In all big cities today in metropolitan cities of this country,